



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या-651 वर्ष 2014

विवेक चौधरी

.....अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

छावनी बोर्ड मेरठ और अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : पी.के. जैन, सुमित डागा, श्वेताश्व अग्रवाल
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : एम.आई. खान

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र,

1. इस विशेष अपील में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री श्वेताश्व अग्रवाल ने किया था, जिन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए नोटिस भेजा गया था।
2. भेजा गया नोटिस 'प्राप्तकर्ता ने कोई निर्देश नहीं दिया' की टिप्पणी के साथ वापस आ गया है।
3. यद्यपि यह मामला 'इस उच्च न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर लंबित सबसे पुराने मामलों' की श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है, फिर भी अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के कारण अपीलकर्ता की अपील में रुचि समाप्त हो गई है। अतः, इसे कार्यवाही न करने के कारण खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

फरवरी 13, 2026

संदीप/एन.डी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”